न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 83/2018

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 41/18 एवं 49/2018

राजस्थान सरकार जरिये हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिमांशु मेवाडा पुत्र श्री मोहनलाल निवासी–नन्द नगर, चांग चितार रोड, ब्यावर।
2. श्री विनोद भण्डारी विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स भारत गैस भीलवाडा
3. ट्रक मालिक झामकमल निवासी उदयपुर ट्रक नं0–आर.जे.23जी.ए.9330
4. श्रीमती कविता मेवाडा पत्नी श्री प्रेमचन्द मेवाडा, पुलिस थाना–सरवाड। .....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1 श्री नीरज जैन — प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

2. श्री भगवान सिंह चौहान — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 04.03.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं0 01 के फार्मनुमा गोदाम पर एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की प्राप्त शिकायत पर दिनांक 16.3.2018 को श्री विनय कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन निरीक्षक श्री खान मौहम्मद खान, एवं श्री भागचन्द गुर्जर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नरबदखेडा स्थित फार्मनुमा गोदाम की जांच की गई। जिसमें अवैध रूप से भण्डारित कुल 410 गैस सिलेण्डर जिनमें गो गैस कम्पनी के 210 खाली सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 91 खाली गैस सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 16 भरे हुए सिलेण्डर (एल.पी.जी. मात्रा–301.8 किलोग्राम), नकारा ट्रक संख्या आर.जे. –23 जी.ए. 9330 पर भण्डारित भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक 40 भरे गैस सिलेण्डर (19 कि.ग्रा.) (एल.पी.जी. मात्रा–745.2 कि0ग्रा0) भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 8 भरे गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति गैस सिलेण्डर 47 कि0ग्रा0) (एल.पी.जी. मात्रा–378.0 कि0ग्रा0) गो गैस कम्पनी के 6 भरे हुए गैस सिलेण्डर (एल.पी.जी. मात्रा–91.3 कि0ग्रा0) भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 39 खाली गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति सिलेण्डर 47 कि.ग्रा.) रखे पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बिना वैध अनुज्ञापत्र एंव डीलरशिप के 355 खाली तथा 55 सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किया जाना पाया गया। वरवक्त जांच अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स बी.पी.सी.एल कम्पनी भीलवाडा की ओर से नोन डोमेस्टिक सिलेंडर बी0पी0सी0एल गैस प्लान्ट नसीराबाद से उठाव कर सीधें ही ग्राम नरबदखेडा लाकर नकारा ट्रक जो श्री झमकलाल का है में खाली करवाकर मांग अनुसार टैम्पो/पिकअप में भरकर ब्यावर में सप्लाई किया जाना अवगत करवाया गया। ग्राम नरबदखेडा का उक्त भण्डारण स्थल श्रीमति कविता मेवाडा पत्नी श्री प्रेमचन्द मेवाडा निवासी गणेशपुरा ब्यावर के स्वामित्व का होकर उनसे किराये पर लिया जाना अवगत करवाया गया। किन्तु किरायानामा व सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विस्फोटक नियंत्रक विभाग की बिना अनुज्ञप्ति/अनुमति के भण्डारित उपरोक्तानुसार कुल 41 सिलेण्डर मय एल.पी.जी. के कब्जेराज लेकर तौल कर श्रीचन्द सेल्स मैनेजर बी.पी.सी.एल को त नकारा ट्रक संख्या आर.जे.23जी.ए. 9330 को कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना जवाजा सुपुर्दगी में संभलाया गया। अप्रार्थी हिंमाशु मेवाडा का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की ध 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (ग) 6, 7, (1)(ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 (1),

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोगी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (क) (ख) (ग,) 4(1)(क) (घ,) का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 410 गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 द0प्र0संहिता वास्ते नकारा ट्रक संख्या आर.जे.–23 जी.ए. 9330 तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जब्त सिलेण्डर 410 को सुपुर्दगी में दिए जाने के प्रस्तुत किये गये जो दर्ज रजिस्टर किये जाकर जिला रसद अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने पर भी जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित अभिभाषक श्री भगवान सिंह चौहान द्वारा सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की शिकायत पर दिनांक 16.3.2018 को श्री विनय कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन निरीक्षक श्री खान मौहम्मद खान, एवं श्री भागचन्द गुर्जर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नरबदखेडा स्थित फार्मनुमा गोदाम की जांच की गई। जिसमें अवैध रूप से भण्डारित कुल 410 गैस सिलेण्डर जिनमें गो गैस कम्पनी के 210 खाली सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 91 खाली गैस सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 16 भरे हुए सिलेण्डर, नकारा ट्रक संख्या आर.जे.–23 जी.ए. 9330 पर भण्डारित भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक 40 भरे गैस सिलेण्डर (19 कि.ग्रा.), भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 8 भरे गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति गैस सिलेण्डर 47 कि0ग्रा0) गो गैस कम्पनी के 6 भरे हुए गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 39 खाली गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति सिलेण्डर 47 कि. ग्रा.) रखे पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बिना वैध अनुज्ञापत्र एंव डीलरशिप के 355 खाली तथा 55 सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किया जाना पाया गया। वरवक्त जांच अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स बी.पी.सी.एल कम्पनी भीलवाडा की ओर से नोन डोमेस्टिक सिलेंडर बी0पी0सी0एल गैस प्लान्ट नसीराबाद से उठाव कर सीधें ही ग्राम नरबदखेडा लाकर नकारा ट्रक जो श्री झमकलाल का है में खाली करवाकर मांग अनुसार टैम्पो/पिकअप में भरकर ब्यावर में सप्लाई किया जाना अवगत करवाया गया। ग्राम नरबदखेडा का उक्त भण्डारण स्थल श्रीमति कविता मेवाडा पत्नी श्री प्रेमचन्द मेवाडा निवासी गणेशपुरा ब्यावर के स्वामित्व का होकर उनसे किराये पर लिया जाना अवगत करवाया गया। किन्तु किरायानामा व सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विस्फोटक नियंत्रक विभाग की बिना अनुज्ञप्ति/अनुमति के भण्डारित उपरोक्तानुसार कुल 410 सिलेण्डर मय एल.पी.जी. के कब्जेराज लेकर तौल कर श्रीचन्द सेल्स मैनेजर बी.पी.सी.एल को तथा नकारा ट्रक संख्या आर.जे.23जी.ए. 9330 को कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना जवाजा को सुपुर्दगी में संभलाया गया। अप्रार्थी हिंमाशु मेवाडा का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (ग) 6, 7, (1)(ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 (1), (7) 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोगी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (क) (ख) (ग,) 4(1)(क) (घ,) का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 410 गैस सिलेण्डरों एवं वाहन को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए निवेदन किया कि अवैध रूप से गैस सिलेण्डर भण्डारण करने के कथन मनगढन्त एवं गलत है। अप्रार्थ

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

संख्या 01 फर्म गणेशम गैस एजेन्सी का प्रोपराईटर होकर मैसर्स गौ गैस पेट्रोलियम कम्पनी का अजमेर, ब्यावर का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का वितरक है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर द्वारा बिना दस्तावेज देखे बेवजह गौ गैस कम्पनी के अप्रार्थी संख्या 01 के 215 सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ट्रांसपोर्ट का कार्य भी किया जाता है। इस कारण भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा मै0 विमल डिस्ट्रीब्यूटर को गैस गैस वितरण का कार्य दिया गया है। और विमल डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रार्थी को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण अन्नपूर्णा योजना के लिए व्यवसायिक गैस सिलेण्डर वितरण का कार्य दे रखा है। इसी के तहत भारत गैस के 195 व्यवसायिक सिलेण्डर जो कि वाहन संख्या आर.जे.–36 जीए–3758 में वापिस जाने थे, वह खराब होने के कारण उक्त सिलेण्डर प्रार्थी की फर्म पर छोडे गये थे। उक्त वाहन को ठीक कराये जाने का भुगतान बिल भी संलग्न पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गौ गैस एजेन्सी के व्यवहार एवं सेवाओं से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण अपने वितरण का कार्य बन्द किये जाने का पत्र जरिये ई–मेल दिनांक 29.9.2017 भेजकर जमा अमानत राशि लौटाने का भी निवेदन किया गया है। गौ गैस एजेन्सी द्वारा हिसाब नहीं किये जाने कारण गौ गैस एजेन्सी के 215 सिलेण्डर प्रार्थी के पास ही रखे थे। जिला रसद अधिकारी, द्वितीय द्वारा बिना किसी ठोस व उचित कारणों के अप्रार्थी संख्या 01 के सिलेण्डर एवं अप्रार्थी संख्या 03 का वाहन जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा भी मामले में एफ.आर. पेश की गई है। अप्रार्थी0/प्राथी0 न्यायालय की प्रत्येक शर्त की पालना को तैयार है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जब्त शुदा सिलेण्डर एवं वाहन नियमानुसार अप्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश न्यायाहित में प्रदान करावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित (खारिज) फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी संख्या 01 के नरबदखेडा स्थित फार्मनुमा गोदाम एवं नकारा ट्रक में अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञापत्र एंव डीलरशिप के कुल 410 गैस सिलेण्डर जिनमें गो गैस कम्पनी के 210 खाली तथा 6 भरे हुए, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 91 एवं (47 कि.ग्रा.) 39 कुल 130 खाली, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 56 एवं (47 कि.ग्रा.) 8 कुल 64 भरे सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (ग) 6, 7, (1)(ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 (1), (7) 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोगी होने से उनका कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (क) (ख) (ग,) 4(1)(क) (घ,) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 410 गैस सिलेण्डरों एवं वाहन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर जब्त सिलेण्डरो एवं नकारा ट्रक संख्या आर.जे.23जी.ए. 9330 का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जाने की कार्यवाही करें। दोनो प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) अब इस स्तर पर सारहीन होने से इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। आदेश प्रति सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र के संलग्न हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vishwa Mohan Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner